circumstances where it is not considered feasible to conduct Court Martial proceedings or to take action under Section 19 of the Army Act. The Government do not envisage any change, in this regard, in the respective acts of the Army, the Navy and the Air Force.

**Flying of US plane over Bombay .. region**

602. SHRI K. R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a mysterious US plane on way from Islamabad to Seychelles over-flew Bombay flight region on Wednesday, February 8, and then landed at an undisclosed place as reported in the 'Times of India', dated the 11th February, 1995;

(b) whether it was a civilian or a military plane;

(c) why the U.S. plane did the respond to the calls made on it from Bombay;

(d) whether it was a spy plane photographing strategic points and places in and around Bombay; and

(e) why it was not shot down after warning when it violated our air space in such a mysterious manner?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (e) On 8th February, 1995, a Boeing 707 belonging to an American registered private company flew from Rawalpindi to Seychelles. The aircraft flew in Bombay Flight information Region (FIR) and followed an authorized route. It reported over two reporting points on the route. The aircraft was well outside the Air Dfence Identification Zone (ADIZ) of Bombay. It neither violated our ADIZ nor overflew our Airspace.

**रक्षा कर्मियों के लिए आवास**

603. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा कर्मियों के संबंध में पारिवारिक आवास आबंटित किये जाने हेतु सेवावार और रैंक-वार पात्रता क्या है ;

(ख) उक्त पात्रता शर्तें कब से लागू हुई ;

(ग) वर्ष 1994 तक विभिन्नश्रेणियों के लिए सरकारी आवास की उपलब्धता संबंधी स्थिति क्या थी ;

(घ) सरकारी आवासों की कमी को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सेवा हेतु वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई ; और

(च) सभी रक्षा कर्मियों को, उनकी पात्रता के अनुसार, सरकारी आवास कब तक आवंटित कर दिये जाएंगे ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (घ) रक्षा सेना कर्मिकों के लिए सेना-वार तथा रैंक-वार जो विवाहित आवास प्राधिकृत किया गया है, वह इस प्रकार है :—

**(क) सेना :**

| | |
|---|---|
| 1. मेजर और उससे ऊपर | 100% |
| 2. कैप्टन | 80% |
| 3. लेफ्टिनेंट और उससे नीचे | 33⅓% |
| 4. जे सी ओ . . | 100% |
| 5. एन सी ओ | 14% |
| 6. अन्य रैंक . . | 14% |

(ख) नौसेना :

| | |
|---|---|
| 1. लेफ्टिनेंट कमांडर और उससे ऊपर | 100% |
| 2. लेफ्टिनेंट | 83% |
| 3. सब-लेफ्टिनेंट | 63% |
| 4. एमसी पी ओ/सी पी ओ | 100% |
| 5. पी ओ | 50% |
| 6. लीडिंग मैन तथा उससे नीचे | 14% |

(ग) वायुसेना :

| | स्टेशन | |
|---|---|---|
| | फ्लाइंग | नान फ्लाइंग |
| 1. स्क्वाड्रन लीडर और उससे ऊपर | 100% | 100% |
| 2. फ्लाइट लेफ्टिनेंट | 70% | 60% |
| 3. फ्लाइंग अफसर और पायलट अफसर | 25% | 50% |
| 4. मास्टर वारंट अफसर/वारंट अफसर | 100% | 100% |
| 5. जूनियर वारंट अफसर | 75% | 75% |
| 6. सार्जेण्ट/ कार्पोरल | 50% | 50% |
| 7. ए सी | 14% | 14% |

सेना कार्मिकों के लिए विवाहित आवास के आवंटन संबंधी मानदंड वर्ष 1937 में लागू किए गए थे । इन्हें रक्षा सेवाओं के लिए 30 अगस्त, 1983 को लागू आवास संबंधी मापदंडों के अनुसार संशोधित किया गया है । विवाहित आवास के लिए अधिकृत और विभिन्न श्रेणियों के लिए 1994 तक इसकी उपलब्धता जैसाकि सेनाओं द्वारा दर्शाई गई है, इस प्रकार है :—

| | प्राधिकृत | धारित | कमी |
|---|---|---|---|
| **सेना :** | | | |
| अफसर | 38,700 | 27,937 | 10,763 |
| जे सी ओ | 52,000 | 41,334 | 10,666 |
| अन्य रैंक | 2,09,000 | 1,60,155 | 48,845 |
| **नौसेना :** | | | |
| अफसर | 4,292 | 3,686 | 606 |
| एम सी पी ओ/सी पी ओ | 7,144 | 5,405 | 1,739 |
| पी ओ | 3,201 | 2,838 | 363 |
| लीडिंग्स और उससे नीचे | 3,286 | 3,278 | 8 |
| **वायुसेना :** | | | |
| अफसर | 7,853 | 6,380 | 1,473 |
| वारंट अफसर | 15,633 | 4,214 | 11,419 |
| एयरमैन | 38,447 | 32,650 | 5,797 |

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना को विवाहित आवासों के निर्माण के लिए आबंटित की गई धनराशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

| सेनाएं | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
|---|---|---|---|
| | (वास्तविक) | (वास्तविक) | (योजनाबद्ध) |
| सेना | 56.89 | 79.65 | 72.36 |
| नौसेना | 24.00 | 20.00 | 10.00 |
| वायुसेना | 19.92 | 8.12 | 34.18 |

विवाहित आवासों की कमी को प्राइवेट आवास किराए पर लेकर पूरा किया जा रहा है ।

**हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में लड़ाकू विमानों का निर्माण**

604. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में लड़ाकू विमानों का निर्माण कार्य लगभग बंद हो गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) वर्ष 1993–94 के लिए एच० ए०एल० में लड़ाकू और जैट विमानों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य रखा गया था तथा इस दौरान कितने विमानों का निर्माण किया गया ;

(ग) क्या वर्ष 1993–94 के दौरान भारतीय वायु सेना को कोई लड़ाकू विमान/मिग विमान उपलब्ध कराया गया, यदि हां, तो उपलब्ध कराए गये विमानों का संख्यावार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को चालू रखने के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ऐसे विवरण देना सुरक्षा के हित में नहीं होगा ।

**Selection of women candidates by IAF**

605. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a letter to the Editor published in the 'Pioneer' of February 8, 1995 under the caption, "IAF has let Government down";

(b) if so, what are the facts in this regard:

(c) what is the number and the names of women candidates who were selected